भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1679
29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स सुविधा केंद्र

1679. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कई विकास कार्य प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया या कार्य शुरू होने में अनावश्यक विलंब के कारण लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई न होने की स्थिति में कार्यों को अनुमोदित माने जाने तया प्राधिकृत एमपीलैड्स सुविधा केंद्रों के माध्यम से निविदा और कार्यान्वयन की व्यवस्था करने हेतु कोई व्यवस्था लागू करने का विचार कर रही है;

(ग) एमपीलैड्स सुविधा केंद्रों की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा उक्त केंद्रों के माध्यम से संसद सदस्यों को कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में ऐसा कोई केंद्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार प्रत्येक संसद सदस्य के लिए इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारी प्रदान करने सहित समर्पित सुविधा केंद्र स्थापित करके एमपीलैड्स के समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसद सदस्यों को अधिक प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) एमपीलैड योजना के अंतर्गत, माननीय संसद सदस्य अपने विकास कार्यों की संस्तुति सीधे ईसाक्षी पोर्टल के माध्यम से जिला प्राधिकरणों को भेजते हैं और इन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसरण में जिला प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वित किया जाता है।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को किसी भी कार्य को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सक्षम प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित सांविधिक और नियामक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं, कि कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और कि संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से एक लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त की गई है, जिसमें उसने प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव की लागत अपने संसाधनों से वहन करने की अपनी सहमति दी है।

तथापि, यह पाया गया है कि एमपीलैड योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियों के जारी करने में विलंब आमतौर पर अधूरे प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, स्थानीय विवादों, भूमि उपलब्धता या स्थल व्यवहार्यता से संबंधित प्रतिबंधों, सांविधिक मंजूरी की आवश्यकताओं, तथा जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं जैसे कारकों के कारण होती है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यों की समय पर जांच, स्वीकृति और निष्पादन की जिम्मेदारी जिला प्राधिकरणों पर है।

जब भी अत्यधिक विलंब के मामले मंत्रालय के संज्ञान में लाए जाते हैं, तो संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार और जिला प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वे मामले की जांच करें तथा लागू सेवा नियमों के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी और निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करें।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुशंसित कार्यों के लिए स्वतः स्वीकृति का प्रावधान व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अनुशंसित कार्य के संबंध में स्वीकृति आदेश जारी किए जाने से पूर्व उसकी तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता का परीक्षण करना तथा अपेक्षित वैधानिक एवं नियामकीय अनुमतियों/स्वीकृतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है।

(ग) एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के अनुसार, सुविधा केंद्र के प्रावधान संलग्न हैं (अनुबंध I)।

(घ) और (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दादरा एवं नगर हवेली जिले के लिए कलेक्टरेट, दादरा एवं नगर हवेली में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमपीलैड योजना के अंतर्गत सभी कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा माननीय संसद सदस्य से संबंधित विषयों में सुविधा एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी अधिकारी भी नामित किया गया है। तथापि, दमन एवं दीव जिले के लिए कोई एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।

(च) एमपीलैड योजना के अंतर्गत, माननीय संसद सदस्य की भूमिका पात्र कार्यों की अनुशंसा करने की होती है, जबकि ऐसे कार्यों की स्वीकृति और कार्यान्वयन जिला प्राधिकरणों द्वारा एमपीलैड दिशानिर्देशों और संबंधित राज्य/संघ राज्य केन्द्र सरकारों के लागू प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार किया जाता है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक सुविधा केंद्र के लिए तकनीकी कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी आधार पर हों, और यह किसी भी पद के विरुद्ध न हों और किसी भी रूप में सरकारी नौकरी के रूप में न मानी जाएं। श्रमशक्ति की काम पर लगाने की लागत को एमपीलैड्स पर प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जा सकता है।

अनुबंध 1

{दिनांक 29.07.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1679 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध}

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत सुविधा केंद्र के संबंध में प्रावधान

क्र. सं.	पैरा सं.	प्रावधान
1	9.5.1	योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एमपीलैड्स से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए नोडल जिलों में एक एमपीलैड्स सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा।
2	9.5.2	सुविधा केंद्र जिले में चल रहे एमपीलैड्स कार्यों के बारे में सभी जानकारी, सभी पूरे किए गए कार्यों की जानकारी, अद्यतन वित्तीय जानकारी और अद्यतित एमपीलैड्स दिशानिर्देश और परिपत्र, दोनों भौतिक और साथ ही डिजिटल रूप में सभी जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए। इसे परियोजनाओं के सूची, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित कार्यों का विवरण, लंबित परीक्षण, अपात्र और अस्वीकृत पाए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों और लंबित स्वीकृति पर कारणों के साथ विवरण भी बनाए रखना चाहिए।
3	9.5.3	ऐसे सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए स्थान नोडल जिला प्राधिकरण द्वारा अधिमानतः डीआरडीए के परिसर या सीडीओ के कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
4	9.5.4	यदि किसी जिले को एक से अधिक संसद सदस्यों द्वारा अपने नोडल जिले के रूप में चुना गया है तो वही सुविधा केंद्र ऐसे सभी संसद सदस्यों की एमपीलैड्स निधि के लिए सेवा प्रदान करेगा।
5	9.5.5	यह सुविधा केंद्र नोडल जिला प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में और एमपीलैड्स के लिए नोडल अधिकारी की देखरेख में काम करेगा।
6	9.5.6	सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय, अर्थात उपकरण फर्नीचर आदि पर व्यय (जनशक्ति को छोड़कर) नोडल जिला प्राधिकरण के पास प्रशासनिक व्यय के लिए उपलब्ध एमपीलैड्स निधि से प्रभारित किया जाएगा बशर्ते कि एक सुविधा केंद्र पर कुल पूंजीगत व्यय 5 लाख रुपये से अधिक न हो। सुविधा केंद्र पर बाद में पूंजीगत व्यय पांच साल के अंतराल के बाद ही किया जा सकता है।
7	9.5.7	तकनीकी जनशक्ति , यदि आवश्यक हो, प्रत्येक सुविधा केंद्र के लिए लगाया जा सकता है, बशर्ते इस तरह की नियुक्तियां पूरी तरह से आकस्मिक आधार पर होंगी, और यह किसी भी पद के विरुद्ध नहीं होगी और किसी भी रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में नहीं माना जाएगा। जनबल को काम पर रखने की लागत को एमपीलैड्स पर प्रशासनिक व्यय के रूप में प्रभारित किया जा सकता है ।
8	9.5.8	सुविधा केंद्र का अपना ई-मेल पता होना चाहिए, जिसे एमपीलैड्स से संबंधित कोई भी सार्वजनिक प्रश्न प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। इस ई-मेल पते पर प्राप्त सभी प्रश्नों का उचित अवधि के भीतर विधिवत उत्तर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो जिला प्राधिकारी को आईटी सहायता और सुविधा केंद्र के लिए ईमेल आईडी आदि की स्थापना के लिए जिला एनआईसी सेल की सहायता लेनी चाहिए।
